कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–विकास), मध्यप्रदेश
प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल–462004
दूरभाष -0755.2674216, फैक्स.2674339 ई–मेल apccfdev@mpforest.org

कमांक/एफ–/1114 भोपाल दिनांक 0 .04.2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय, वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश।

आवश्यक

विषयः– विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव एवं पुनरोत्पादन कार्यों में गुणात्मक परिणाम लाने बावत्।

–0–

वन विभाग का मुख्य दायित्व वन वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं विकास है। विभाग की पारम्परिक कार्य पद्धति वानिकी कार्यों पर केन्द्रित रही है। विगत कुछ समय से वन अधिकारियों/कर्मचारियों, विशेष रुप से क्षेत्रीय स्तर पर की कार्यप्रणाली विभाग के मूल दायित्व से विमुख होती प्रतीत हो रही है जो उचित नहीं है। हमें अपनी गतिविधियों को पुनः विभाग के मुख्य दायित्व पर केन्द्रित करना है। कार्यप्रणाली में बदलाव लाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

2/– कार्य आयोजना कियान्वयन के तहत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, विदोहित किये गये एवं विदोहित नहीं किये गये विभिन्न कार्य वृत्तों के वन क्षेत्रों में पुनरुत्पादन कार्यों का सम्पादन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वृक्षारोपणों का सामयिक मूल्यांकन किया जा रहा है परन्तु पुनरोत्पादन कार्यों का न तो मूल्यांकन किया जा रहा है और न ही पर्याप्त अभिलेखीकरण (Documentation)।

3/– विभागीय कार्यप्रणाली को मुख्य दायित्वों के प्रति केन्द्रित करने के लिये हमें अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव (re-orientation) लाकर अपने प्रतिबद्ध प्रयासों (Committed efforts) से विभिन्न गतिविधियों को परिणाम मूलक (Result oriented) बनाना है। इस संकल्पना ''सी.आर.आर.'' को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सक्ता है :–

1. **प्रतिबद्ध प्रयास (Committed efforts)** समस्त वानिकी कार्यों का प्रतिबद्धता से संपादन।

2. **रिओरिएन्टेशन (Re-orientation)** वर्तमान कार्यप्रणाली को विभाग के मुख्य दायित्वों के प्रति केन्द्रित करने का बदलाव।

3. **परिणाम (Result)** :– विभिन्न वानिकी कार्यों से सुनिश्चित गुणात्मक परिणामों को प्राप्त करना।

4/– उपरोक्त पैरा 3 में अंकित CRR संकल्पना (concept) को अपनाते हुये विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव (Change) लाने हेतु माह अप्रैल/मई में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जावेः–

1. **परिक्षेत्र स्तरीय बैठक** :– परिक्षेत्र स्तर पर बैठकें आयोजित की जाय। इन बैठकों में बीटगार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्राधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी

उपस्थित रहेंगे। यह बैठक वनमंडलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय द्वारा ली जावेगी। इन बैठकों में विभाग की विगत 20–25 वर्षों की पारंपरिक कार्यप्रणाली एवं CRR कॉनसेप्ट का समझाइश दिया जाकर विभिन्न वानिकी कार्यों से मौके पर परिणाम प्राप्त करने संबंधी विषयों पर समझाईश दी जाकर क्षेत्रीय अमले को इस हेतु तैयार किया जावे।

2. <u>वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति</u> की बैठकें :– वनमंडलाधिकारी/उप वनमंडलाधिकारी वन समितियों की बैठक आयोजित कर वनों की सुरक्षा, वृक्षारोपण एवं विभिन्न कूपों में किये जा रहे पुनरुत्पादन कार्यों के परिणाम प्राप्त करने हेतु उन क्षेत्रों में चराई नियंत्रण/अग्नि सुरक्षा एवं अवैध कटाई इत्यादि विषयों पर चर्चा कर ग्रामीण समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जावे।

3. **परिक्षेत्र/उप वनमंडल** स्तरीय **चरवाहों** की बैठक लिया जाकर वृक्षारोपण क्षेत्रों/पुनरुत्पादन कार्यों के कूपों में चराई न हो इस हेतु समझाईश देकर उनका सहयोग प्राप्त किया जावे।

5/– उपरोक्त पैरा 3 एवं 4 में अंकित कार्यवाहियों से वन अमले को तैयार करने एवं वनान्चलों में ग्रामीण समुदाय से सहयोग प्राप्त करने से वृक्षारोपण एवं विभिन्न कूपों में किये जा रहे पुनरुत्पादन कार्यों से गुणात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उपरोक्तानुसार बैठकें आयोजित कर एवं कूपों का निरीक्षण कर प्रत्येक कूप में पुनरोत्पादन कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पुनरोत्पादन की वर्तमान स्थिति बेंचमार्क रहेगी एवं प्रोजेक्ट अवधि पूर्ण होने पर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली पुनरोत्पादन की स्थिति प्रोजेक्ट का लक्ष्य एवं अपेक्षित परिणाम रहेगा।

6/– वृक्षारोपण कार्यों का वृक्षारोपण जरनल में अभिलेखीकरण का कार्य किया जाता है किन्तु कूपों में पुनरुत्पादन कार्यो से प्राप्त होने वाले परिणामों का उचित अभिलेखीकरण वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अतः इस हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. समस्त पुनरुत्पादन कार्य के प्रत्येक कूप के लिये एक पंजी का संधारण किया जावे।
2. विभिन्न कार्य वृत्तों के, वर्ष में कार्य किये जाने वाले कूपों में प्रत्येक का प्रथमतः सीमांकन का कार्य किया जावे।
3. सीमांकन के उपरांत कूप की सीमा के सबसे बाहरी बिंदुओं के Latitude एवं Longitude लेकर पंजी में अंकित किये जावेंगे।
4. प्रत्येक कूप के क्षेत्र में 20X20 मी0 के 05 सेंपल प्लाट (संलग्न अनुसार) ग्रीड डालकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं मध्य दिशाओं में डाला जावे। यह सेम्पल प्लाट स्थाई प्रकृति के होंगे जो सीमांकित किया जाकर पूरे प्रोजेक्ट अवधि तक संधारित किया जावेगा।
5. 20X20 मी0 के सेम्पल प्लाट के केन्द्र बिन्दु का Latitude एवं Longitude लिया जावेगा।
6. प्रत्येक सेम्पल प्लाट में स्थित 20 से0मी0 के ऊपर एवं 20 से0मी0 के नीचे के वृक्ष/पौधों की पूर्ण गणना कर, पंजी में प्रविष्टी किया जावे। यह कार्य प्रत्येक वर्ष में दो बार माह अक्टूबर एवं मई में संपूर्ण प्रोजेक्ट अवधि के लिये किया जावेगा।
7. समस्त सेम्पल प्लाट के केन्द्र बिंदु के छायाचित्र प्रत्येक वर्ष में दो बार माह अक्टूबर एवं मई में संपूर्ण प्रोजेक्ट अवधि के लिये किया जावेगा।

8. कूप के मानचित्र (Shape file) को गूगल अर्थ पर डाल कर कूप के शस्य का चित्र प्रत्येक वर्ष माह अक्टूर एवं मई में प्राप्त किया जावेगा।

9. गणना के समय प्रत्येक सेंपल प्लाट में 2X2 मी0 के 5 क्वाड्रेट में (संलग्न अनुसार) कार्य आयोजना में प्रचलित प्रथा अनुसार पुनरुत्पादन सर्वे कराया जाकर उसका अभिलेख संधारित किया जावेगा

10 पुनरोत्पादन कूपों की सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सलाह एवं सहयोग से की जावेगी। उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार CPT/CPW/बागड़ बनाई जावेगी।

7/– उपरोक्त पैरा 6 में अंकित कार्यवाहियां समस्त पुनरुत्पादन कूपों में किये जा रहे कार्यों के लिए अनिवार्य होगी, ताकि संपादित कार्यों से प्राप्त होने वाले परिणामों का यह अभिलेखीकरण होगा एवं प्रत्येक वर्ष में कूप में किये गये कार्यों से क्या परिणाम प्राप्त हुये है एवं प्रोजेक्ट अवधि के अंत में क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्षों/पौधों एवं घनत्व का तुलनात्मक परिवर्तन हुये हैं, इसका इस अभिलेखीकरण से पता चल सकेगा। यह अभिलेख कक्ष इतिहास (कम्पार्टमेंट हिस्टरी) में जोड़ा जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय द्वारा समस्त पुनरोत्पादन कूपों के सेंपल प्लाट के गणना पत्रकों/गूगल मानचित्र/छायाचित्रों/पुनरोत्पादन सर्वेक्षण पत्रकों का विश्लेषण किया जाकर अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा। मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय अपने स्तर पर वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेंगे एवं यदि किसी कूप में पुनरोत्पादन एवं शस्य के विकास की प्रगति प्रोजेक्ट रिर्पोट में निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं है तो वे इसके कारणों का पता लगा कर प्रोजेक्ट में तदनुसार सुधार करेंगे एवं विकास शाखा को अवगत करायेंगे।

पुनरोत्पादन कार्यों का समस्त स्तरों पर निरीक्षण पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार होना सुनिश्चित कराना क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी का दायित्व होगा। **पुनरोत्पादन कार्यों का कियान्वयन एवं उसके परिणाम क्षेत्रीय प्रभार में पदस्थ भारतीय वन सेवा/राज्य वन सेवा, अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अनिवार्य रुप से लक्ष्यों में रखे जावेंगे।**

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के कार्य आयोजना कियान्वयन के एक्शन प्लान तैयारी से संबंधित बैठकों में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, के द्वारा विस्तृत चर्चा किया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने, विभाग के मूल उद्देशों को प्राप्त करने एवं जो भी धन राशि विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों में व्यय की जा रही है उससे वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाहियां प्रतिबद्ध तरीके से संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
म0प्र0 भोपाल

पृ. क्रमांक/विकास/1115 दिनांक 30/4/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी तथा संयुक्त वन प्रबंध/वन विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, मध्यप्रदेश भोपाल
4. विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक केम्पा, मध्यप्रदेश भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख,मध्यप्रदेश भोपाल
6. विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय भोपाल
8. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना आंचलिक म0प्र0
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार वृत्त, म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख
म0प्र0 भोपाल

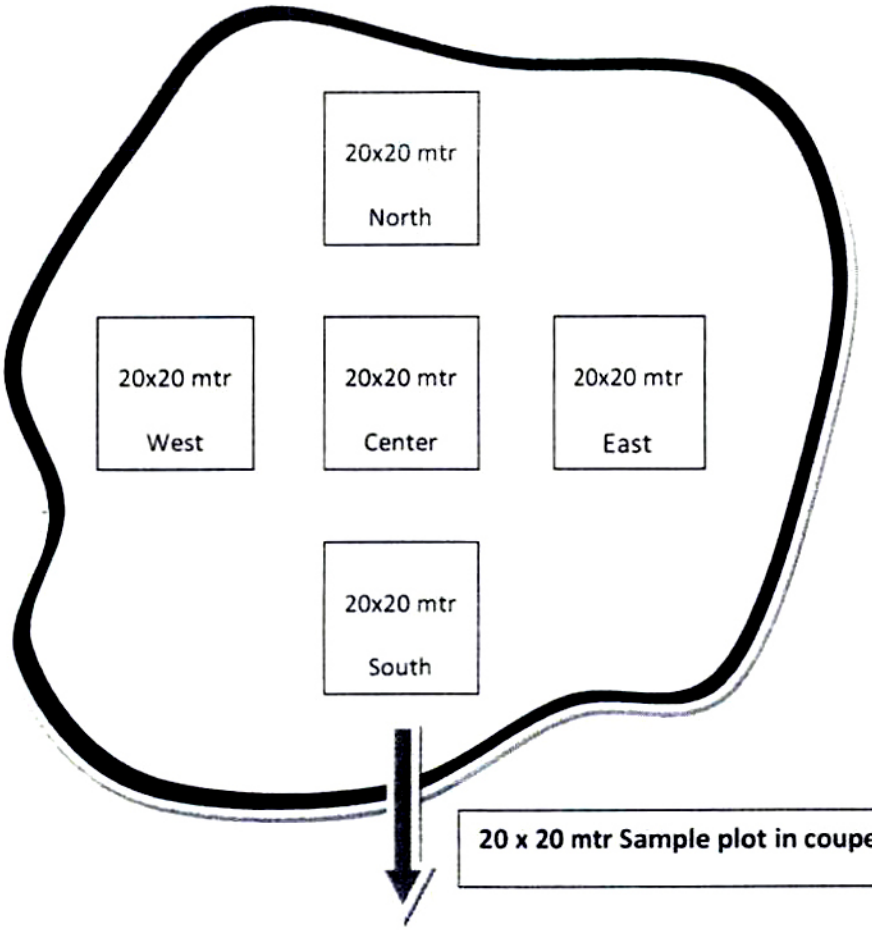

20 x 20 mtr Sample plot in coupe

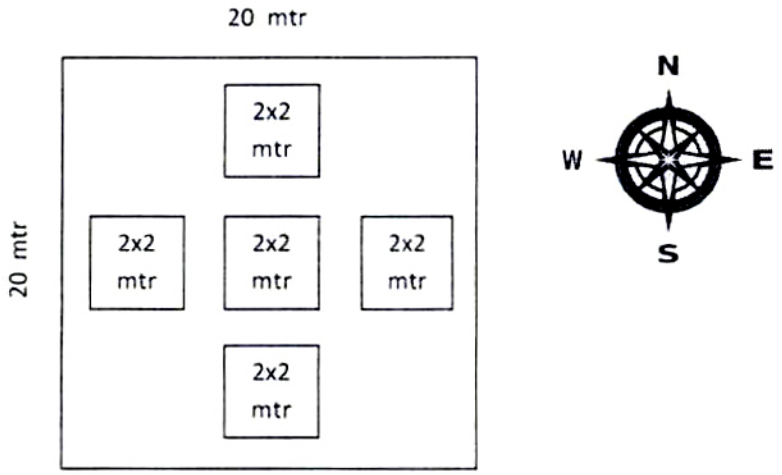

2x2 mtr. Regeneration Survey quadrants in a sample plot.